पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

राजस्व मण्डल ग्वालियर ग्वालियर 2005 3 ... (12)

न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त~~ महोदय ~~उज्जैन~~ जिला उज्जैन म.प्र.

RBR/निगरानी/देवास/भू.रा./2017/4749 रिव्हीजन प्रकरण कमांक 0 /17

मंदिर श्रीमहाकालेश्वर , मुर्ति मंगलेश्वर, ब्रहस्पतेश्वर मंदिर उज्जैन अज्ञान द्वारा पुजारी

1. शिवनारायण पिता अम्बाराम आयु 76 वर्ष जाति ब्रहम्मण द्वारा मुख्त्यारखास
2. अरविन्द पिता शिवनारायण आयु 40 साल जाति ब्रहम्मण

कास्तकार ग्राम रालामंडल तहसील व जिला देवास
वर्तमान 1/5 दुर्गाकालोनी अंकपात मार्ग उज्जैन
तहसील व जिला उज्जैन म.प्र. ....निगरानीकर्ता

22/12/17

विरुद्व

1. पटवारी ग्राम रालामंडल प.ह.नं. 31 तहसील व जिला देवास म.प्र
2. कंचनसिंह पिता उदेयसिंह (हरिजन यादव)
3. कुलदीपसिंह पिता कंचनसिंह (हरिजन यादव)

निवासीगण ग्राम रालामंडल तहसील व जिला देवास म.प्र. ....**प्रतिनिगरानीकर्ता**

द्वितीय रिव्हीजन अंर्तगत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. विधान के अर्न्तगत

माननीय महोदय,

पुजारी शिवनारायण के पुत्र एवं मुख्त्याखास कि और से प्रतिनिगरानीकर्ता के विरुद्व द्वितीय निगरानी निम्नानुसार पेश है।

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण

निगरानीकर्ता प्राथीगण ने अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के समक्ष निगरानी कमांक 3/2016–17 कि प्रस्तुत कि थी अधिनस्थ न्यायालय ने प्राथीगण कि निगरानी दिनांक 25.9.2017 को निरस्त कर दी गई है इस निर्णय से प्राथीगण दुखी व असंतुष्ट होकर यह द्वितीय निगरानी अर्ज प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने के दिन मुजरा जाते हुये अंदर अवधि मे प्रस्तुत कर रहे है।

पटवारी ग्राम रालामंडल ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय देवास के समक्ष दिनांक 15.6.2017 को मंदिर भुमि निलामी बाबद पंचनामा प्रस्तुत किया कि भुमि सर्वे नंबर 175 रकबा 2.850 हेक्टयर भुमि के निलामी कि प्रकिया निर्धारित कि जावे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने निलामी प्र.क्र. 313बी121/2016–17 का दर्ज

Arvind

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / देवास / भू.रा. / 2017 / 4749

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 25–9–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा आपत्ति का विधिवत निराकरण किया गया है । आवेदकगण द्वारा नीलामी बोली में भाग लेने से इंकार किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सक्षम न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिपेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	